



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164867

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 42515 वर्ष 2025

अवनीश कुमार उर्फ अवधेश और अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : विमल कुमार पांडेय, विनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 26.10.2019, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 22.06.2021 तथा मुकदमा अपराध संख्या 172 सन् 2019, धारा 452, 323, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना नरैनी, जनपद बांदा से उत्पन्न वाद संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2590/IX/2021 (राज्य बनाम अवनीश एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. अभियोजन के अनुसार, दिनांक 17.09.2019 को लगभग शाम 6:30 बजे, जब सूचनाकर्ता गांव में विद्युत खंभे की मरम्मत का कार्य करके घर लौट रहा था, तब अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोक लिया, उसके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। आरोप है कि रामहित ने सूचनाकर्ता के साथ लात-धूसों से मारपीट की, जबकि दीपचंद और सोहित ने भी मारपीट में भाग लिया। घटना के दौरान सूचनाकर्ता पास के एक घर में प्रवेश कर गया, जहां अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से अनधिकृत रूप से प्रवेश करके उसके साथ पुनः मारपीट की गई। अभियुक्त अवनीश, जो हंसिया से लैस था, ने भी सूचनाकर्ता पर हमला करने का प्रयास किया तथा अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण सूचनाकर्ता को चोटें आईं।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है और पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण संस्थित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी स्पष्टीकरण के विलंब से दर्ज की गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के साथ-साथ सूचनाकर्ता और साक्षियों के बयानों के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सीय परीक्षण तीन दिन बाद कराया गया और घायल के शरीर पर केवल साधारण चोटें पाई गईं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता और साक्षियों के बयान एक-दूसरे से भिन्न हैं तथा जांच के दौरान एक सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि आवेदकों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दे दिया गया है।



5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप, प्रत्यक्षदर्शी दीपचंद के बयान तथा चिकित्सीय साक्ष्य से संज्ञेय अपराधों का किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों द्वारा उठाया गया प्रतिरक्षा का आधार तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित है, जिनकी जांच धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाही में नहीं की जा सकती।
6. अभिलेख के परिशीलन से प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान दर्ज प्रत्यक्षदर्शी दीपचंद के बयान में कहा गया है कि सूचनाकर्ता स्वयं को बचाने के लिए उसके घर में प्रवेश कर गया था, जिसके पश्चात अभियुक्तगण उसे उसके घर से बाहर खींचकर लाए और उसके साथ मारपीट की। सूचनाकर्ता की चिकित्सीय जांच से पता चलता है कि उसे चोटें आई थीं, यद्यपि वे साधारण प्रकृति की थीं, जिससे घटना के संबंध में अभियोजन के कथन को पुष्टि मिलती है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि पक्षकारों के मध्य विवाद सिविल प्रकृति के हैं, विचारण का विषय है, जिसका निर्णय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाही में नहीं किया जा सकता।
7. इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह जांचना अपेक्षित है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शी दीपचंद का बयान तथा चिकित्सीय साक्ष्य, प्रथम दृष्टया, आवेदकों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करते हैं।
8. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का आह्वान किए जाने के संबंध में विधि की स्थिति निम्नलिखित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की जा चुकी है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866;

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाम हरियाणा राज्य, (1977) 4 एस सी सी 451;

पश्चिम बंगाल राज्य स्वपन कुमार गुहा, (1982) 1 एस सी सी 561;

धनलक्ष्मी बनाम आर प्रसन्ना कुमार, 1990 सप्प. एस सी सी 686;

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्प. (1) एस सी सी 335;

बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 सप्प (1) एस सी सी 222;

बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 4 एस सी सी 675;

सनापारेड्डी महीधर शेषगिरि और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2007) 13 एस सी सी 165;

तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्लाह जिलानी और अन्य, (2017) 2 एस सी सी 779;

मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 2021 एससी 1918।

9. मामले के तथ्यों पर विचार करने तथा विधि की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन में कोई मेरिट नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसा दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण, निराधार अथवा उत्पीड़नात्मक है। वर्तमान मामले में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर



हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों के किए जाने का खुलासा करते हैं।

10. परिणामस्वरूप, संपूर्ण कार्यवाही, आरोप-पत्र तथा संज्ञान आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

11. तदनुसार, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

06 अगस्त, 2026

अकबर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।